

कार्यालय वन वृत्त छतरपुर (मध्यप्रदेश)

पुराना बिजावर नाका, छतरपुर (म.प्र.) 471001
07682-242107 (O.), 242107 (Fax) E-mail: ccf.ctr@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2019/ 1956
प्रति,

छतरपुर, दिनांक/ 06/12/2019

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(कक्ष भू-प्रबंध), भोपाल (म0प्र0)

विषय :- पन्ना जिले के वनमण्डल दक्षिण पन्ना अंतर्गत प्रभावित 21.00 हे0 वनभूमि पर 33 के.व्ही. सलेहा से कल्दा विद्युत लाईन निर्माण हेतु कार्यपालन अभियंता म.प्र.पू.क्षे.वि.वि. कम्पनी लिमिटेड संभाग पन्ना मध्यप्रदेश को उपयोग हेतु देने बावत् ऑनलाईन प्रस्ताव क्रं0-FP/MP/OTHER/33428/2018

संदर्भ :- 1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्रमांक/एफ-5/2019/10-11/1416 दिनांक 08.05.2019।
2.वन मण्डलाधिकारी दक्षिण पन्ना का पत्र क्र./मा.चि./2019/1833 दिनांक 28.11.2019

—0—

विषयांकित संदर्भित पत्र क्रमांक 02 के माध्यम से वनमण्डल दक्षिण पन्ना अंतर्गत सलेहा से कल्दा विद्युत लाईन निर्माण हेतु कार्यपालन अभियंता म.प्र.पू.क्षे.वि.वि. कम्पनी लिमिटेड संभाग पन्ना मध्यप्रदेश को प्रभावित वनभूमि 21.00 हे0 पर 33 के.व्ही. विद्युत लाईन डालने के उपयोग हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

1. प्रकरण ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक FP/MP/OTHER/33428/2018 है।
2. प्रस्तावित क्षेत्र वन परिक्षेत्र सलेहा अंतर्गत कुल प्रभावित रकवा 21.00 हे0 योजना में प्रभावित होगा।
3. प्रस्तावित विद्युत लाईन योजना में विभिन्न गोलाई वर्ग के सागौन 377 एवं मिश्रित 4319 कुल वृक्ष 4696 प्रभावित हो रहे हैं।
4. वन मण्डलाधिकारी दक्षिण पन्ना द्वारा ऑनलाईन भरे गए प्रपत्र भाग-2 पर स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई है।

संदर्भित पत्र क्रमांक 01 के अनुसार जारी किये गये निर्देशों के पालन में प्रस्ताव में भाग-3 की ऑनलाईन पूर्ति उपरांत वनमण्डल कार्यालय से प्राप्त हार्ड कॉपी 03 प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुशंसा सहित संलग्न संप्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(आर0पी0राय)

मुख्य वन संरक्षक

छतरपुर वृत्त, छतरपुर

पृ.क्रमांक/मा.चि./2018/ 1957

छतरपुर, दिनांक/ 06/12/2019

प्रतिलिपि :-1. वन मण्डलाधिकारी दक्षिण पन्ना की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. कार्यपालन यंत्री मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्रीय विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड संभाग पन्ना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक

छतरपुर वृत्त, छतरपुर

भाग - III
संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरे जाने के लिये

14	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं।
15	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत है। यदि नहीं तो उसका कारण दें।	जी हां।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।	प्रकरण FP/MP/OTHER/33428/2018 में वनमंडलाधिकारी दक्षिण पन्ना द्वारा भाग-2 में दी अनुशंसा के आधार पर 33 के.व्ही. नवीन विद्युत लाईन सलेहा से कल्दा निर्माण में प्रभावित वनभूमि 21.00 हे. वन क्षेत्र पर विद्युत लाईन डालने हेतु अनुशंसा की जाती है।

तिथि : 06.12.19

स्थान : छतरपुर

(आर०पी०राय)

मुख्य वन संरक्षक
वन वृत्त छतरपुर